


volume 2 | issue 1 by the NISA family 21 states 36,500+ schools 93,50,000+ students become a member today! Join NISA

namaskar

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of budget private schools (BPS) in India, that aim at improving access to affordable and quality education for the economically weaker.





CONTENTS

Editorial 03 A brief note from the editor's desk and message from NISA President and Secretary Editor's Pick 04 Important news pieces on education selected and curated by the editor **Education- State of Affairs** 06 A complete low down on the major happenings in the education sector at primary level throughout India The National Independent Schools Alliance (NISA) Communiqué 11 Major initiatives undertaken and news pertaining to the Budget Private schools under NISA Azadi Views 14 This section contains powerful hindi articles on education from Azadi.in, a liberal's guidebook Ask Your Lawyer: Legal Boundaries 21 A regular column answering queries on matters pertaining to law **Upcoming Events** 22 A list of major events pertaining to education and their details

EDITORIAL TEAM

EDITOR

Avinash Chandra

NISA COMMUNIQUE

Thomas Antony

AZADI VIEWS

Avinash Chandra





editor's desk

बीपीएस के लिए अलग से हों प्रावधान



आजादी के पूर्व से ही देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में बजट प्राइवेट स्कूल्स अर्थात लो फी प्राइवेट स्कूल्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। समय समय पर इन स्कूलों से निकली विभूतियों ने व्यापार, खेल, राजनीति सहित तमाम क्षेत्रों में अपने इंडि गाड़े हैं। अफोर्डिब्लिटी और कालिटी एजुकेशन के कारण ही आज बजट प्राइवेट स्कूल्स

सरकारी स्कूलों के विकल्प के रूप में उभरे हैं। न केवल नौकरी पेशा मध्यम वर्ग बल्कि मेहनत मजदूरी करने वाला निम्न आय वर्ग भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बीपीएस का रूख कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक समय समय पर सरकारी और गैरसरकारी सर्वेक्षणों की रिपोर्टस भी करती रहतीं हैं। लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि स्कूलों के लिए नीतियां बनाते समय नीति निर्धारक स्कूलों को मोटे तौर पर सरकारी और निजी दो वर्गों में बांट कर ही योजनाएं बनाते हैं। जबिक कायदे से नीतियां बनाते समय निजी स्कूलों को कई और हिस्सों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, हाई फी चार्जिंग स्कूल और लो फी चार्जिंग स्कूल अर्थात बजट प्राइवेट स्कूल। चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में बजट प्राइवेट स्कूलों की हिस्सेदारी दो तिहाई से भी अधिक है इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि इनके लिए सरकारी नीतियां और प्रावधान अलग से निर्मित किए जाएं। यह बिल्कल सम्भव नहीं है कि प्रति छात्र सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से भी कम राशि में संचालित होने वाले गैर सहायता प्राप्त स्कुल इंफ्रास्टक्चर और अध्यापकों के वेतन के मामले में बड़े व सहायता प्राप्त स्कूलों की बराबरी कर सकें। पहले से ही संभव न्यूनतम शुल्क पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने वाले छोटे स्कूलों को लैंड नार्म्स को पूरा करने के लिए बाध्य करना, फ्री यूनिफार्म और स्टेशनरी देने के लिए दबाव डालना, स्कूल बसों को अन्य कमर्शियल वाहनों की तर्ज पर दस साल में रिटायर करने जैसे ऐसे तमाम नियम हैं जो इन्हें बंद होने पर मजबूर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आरटीई की विसंगतियों और गलत प्रावधानों के कारण देशभर के एक लाख से अधिक बजट स्कूल बंदी की कगार पर पहुंच गए है। इतनी भारी तादात में स्कूलों के बंद होने से कम से कम डेढ़ से दो करोड़ छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार इस बात को समझे और बजट प्राइवेट स्कूलों को अलग एंटिटी मान अलग प्रावधान बनाए।

अविनाश चंद्र संपादक; आजादी.मी Message from Mr Kulbhushan Sharma, President, The National Independent Schools Alliance (NISA):



"NISA Namaskar is our initiative to be the first unified voice of private schools across the country. It will act as a bridge to connect all schools and a platform where diverse discus-

sions will take place on the current education system. The magazine aims to be a repository of information on legal matters and sugges tions to improve the quality of education and schools in the long run."

Message from Mr Parth Shah, Secretary, The National Independent Schools Alliance (NISA):



"I am delighted at the new form taken by NISA Namaskar. It aggregates all the work done on education by CCS--through NISA, Azadi.me and the Research Department--

and brings "all the news that matter" in one place for the benefit of our reader community. And only aware citizens can bring about a positive change in the education sector. The MHRD has issued a draft new education policy and we now have a new Minister in Shri Prakash Javadekar. A change is on the horizon, but a lot of efforts are required by all the stakeholders to make that meaningful and effective."

editor's pick

A learning curve on school choice

Source: the Hindu

School choice' would allow children from disadvantaged groups to access schools which they earlier could not

While 'school choice' is an active topic of discussion among educationists, think tanks, NGOs and some sectors of the government, it is surprisingly not discussed in the media. Considering the profound impact it may have on education and on the character of our democracy, it ought to be discussed more widely.

'School choice' connotes policies and schemes that give substantial weight to the choice of parents in determining their child's schooling. It builds on Milton Friedman's idea that administration and financing of schools are separable functions of the government. The modern regulatory state, Friedman argued, should concentrate on the function of coordination instead of substantial provisioning of services. He proposed that the government establish minimum levels of schooling and finance it by "giving parents vouchers redeemable for a specified maximum sum per child per year if spent on 'approved' educational services." Parents could use this voucher with any additional sum on their account for "purchasing educational services from an approved institution of their choice." Although vouchers are non-targeted in Friedman's scheme, a targeted voucher is not conceptually inimical. The service providers could be any private school whether they run it for profit or not. The government, as part of its coordinating function, would establish infrastructure norms, teacher qualifications, and curriculum.

RTE and the purpose of Education

The government schools have managed an unfavorable reputation for being inefficient, non-functioning and even beyond repair. The ASER-2014 suggests that reading levels of students at private schools are better than those at government schools (but we need to factor the number and profile of students in the respective systems). Yet, more students from economically weaker sections and disadvantaged groups study in government schools than in private ones. 'School choice', it is argued, would allow children from these groups to access schools which they earlier could not.

Parents, armed with vouchers, may shift their children to another school if they find the earlier one inadequate. The competition would make it economically unwise for schools to neglect their interests. Of course, private schools have huge variations and limited seats among them. The lottery system resorted to in such instances treats differently situated people at the same level, resulting in unequal outcomes.

The Right to Education Act reserves 25 per cent of seats for children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in unaided private schools in their neighbourhood. The government would reimburse these schools to the maximum of per child spending in government school. With certain changes, the RTE Act could actually proffer 'school choice'. In fact, randomized control trials are already being conducted. A project in Andhra Pradesh found that private schools performed only marginally better but their per-child expenditure was much lower than public schools (helped significantly by over-worked and under-paid teachers). On the other hand, it has been noticed that intra-household gender disparities were replicated in school choice as well. In the U.S. and Canada, studies suggest an inverse relationship between social disadvantage and choice. The 'school choice' proposal gives only a limited consideration to the context that makes a 'choice' significant.

However, 'school choice' proponents need to ask if there are any common values that need to be inculcated through the medium of education for which merely a common minimum syllabus would not suffice. The argument here is not that improvement of individuals would cumulatively improve the collective, which is technically possible if all schools give equally good education to all students. Education, importantly, has both instructional as well as experiential aspects. Perhaps, cultivation of democratic values is helped more by experience than instruction. Still, 'school choice' could arguably facilitate diversity by providing vouchers to children from disadvantaged sections to study alongside those from privileged segments. With background constraints like strict anti-discrimination laws, vouchers, like votes, could play a role in deepening democracy and pluralism. Yet, an outcome-based proposal like this inevitably calls for standardisation, neglecting the diverse ways in which knowledge has been acquired and transferred between generations of Indians.





editor's pick

Questions ahead

The 'school choice' debate should engage with some questions. Would 'school choice' attract competent teachers from government schools which offers them a better paid, less arduous and more secure job? If the 'consumers' of education (children) are not really the decision-makers (parents) of school choice (a recognised distinction in the Child Rights Convention), are we only substituting one paternalism with another?

Can we design a regulatory structure that makes our democratic commitments and variegated social contexts central and permanent features of 'school choice'? Basic education, like healthcare and subsistence, is an essential for equality of opportunity and access to the market. Only when these background conditions are equal can we hold people responsible for their market decisions involving opportunity

costs, which would simultaneously generate economic differentials. Therefore, would it not intensify inequalities if these background conditions that bring people on a level playing field are subjected to market outcomes?

With market economies becoming market societies, Michael Sandel asks critical questions that should also inform the 'school choice' debate: "At a time of rising inequality, the marketisation of everything means that people of affluence and people of modest means lead increasingly separate lives. The question of markets is really a question about how we want to live together. Do we want a society where everything is up for sale? Or are there certain moral and civic goods that markets not honour and money cannot buy?"

Ajey Sangai is Research Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy, New Delhi.

Association to set up 100 Model Schools

Source: Tribune

The National Independent Schools Association (NISA) said today that it would set up 100 NISA model schools in the country.

Ekta Sodha, vice-president of the NISA who owns a chain of budget schools under the name of Sodha Schools at Jamnagar in Gujarat, said the model schools would lay emphasis on the third party assessment, learning outcome, teachers training, technology, and health and safety of children. She said 10 of such schools would be in Haryana. She said NISA did not propose to set up new schools for this purpose, but would transform the existing budget schools in to model schools.

Admission to children from economically weaker section (EWS) under Section 134-A of the Haryana School Education Rules, 2003, in Haryana and the Right to Education (RTE) in other states has become a bone of contention between governments and private schools.

Parents of EWS children have been mounting pressure on state governments to take stern measures against private schools for not complying with the law.

Schools, however, rue that the government has not been paying them fees for the EWS children for years. The government is bound to pay fee to schools for EWS children.

Private schools want EWS children to be directly funded by the government so that the schools do not have to look towards government for payments.

Against the backdrop of these circumstances, organisations of private schools from various states of the country yesterday met in Chandigarh under the banner of the National Independent Schools Association (NISA) to understand the problems faced by their members and find out solution.





education: State of Affairs

Right to Education Policy tweaked to Save Government Schools from Closure

Source: The Economic Times

BENGALURU: With admissions in government schools rapidly falling, the state government has found a new way to arrest the freefall: if there are no private Right to Education (RTE) schools or aided schools in a municipal ward, then parents have no option but admit their children to government schools.

This latest shift in policy has come as a shocker to parents. Last year, parents had the option to apply to private RTE schools in the neighboring municipal wards if their own wards had no such schools. But this year, they can admit only to either local aided schools or government schools.

Though the government notified the policy change in February this year, most private schools and parents are not aware of this. Education officials in Bengaluru South were seen struggling to explain the new policy to agitated parents on Monday as the deadline to admit children approached. "We are giving 350 crore to private schools a year about by way of reimbursement of fee for children admitted under the Right to Educate under the Right to Education Act (RTE), and killing our own government schools. After the advent of RTE, few would want to admit their children to government schools," a senior Education department official told ET, not willing to be identified.

The government pays private RTE school an education cost of Rs 11,848 per child if the child is studying in a primary class and Rs 5,924 if the child is in a pre-primary class. About 1.67 lakh students get benefits of the RTE Act statewide. Of this, 30,000 children are in Bengaluru. 564 government schools statewide had zero student admissions last year. Around 657 schools had student admissions between

zero and five students. Only 337 government schools had a student strength of 500 plus, according to the education department official quoted above. Bengaluru has 400 government schools with 1.92 lakh seats, but the demand for government seats is very low due to the large presence of private schools. The government has also lowered the bar by fixing the maximum annual income limit at Rs 3.5 lakh for a parent to claim an RTE seat.

The education department provides children with mid-day meals, 250 ml of milk, uniforms, shoes, and cycles to improve attendance.

The education officials say the number of schools claiming minority status is rising year after year. The RTE Act exempts religious and linguistic minority schools from having to comply with the Act, so they don't admit RTE students at all. In Karnataka, 768 schools have claimed minority status which has taken away between 20,000 and 25,000 seats which would have otherwise gone to poor children.



Plight of education: Almost 1.5 lakh schools in India are run by single teacher

Source: The New Indian Express



NEW DELHI: It's an uncomfortable truth the education sector could have done without. Close to 1.5 lakh of 15 lakh schools in the country are run by a single teacher, a stigma hurting the prospects of over 80 lakh children. Multi-grade teaching, lack of proper attendance of students and teacher absenteeism have severely affected the learning outcome in classes, indicated a recent government-sponsored District Information System of Education report. Classes remain shut if the sole teacher fails to turn up. Almost all of these schools are government-run at the primary level, with the student strength ranging between 50 and 100. Such schools are spread across the country, especially in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Jharkhand and Odisha. If the Right to Education Act was applied effectively, these institutes would have been shut down by now, but no one is bothered.

The minimum requirement of two teachers for every school has conveniently been ignored. The draft National Education Policy presented on May 25 estimates that there is a shortage of more than five lakh teachers at the primary level, but efforts to fill the vacancies or the urgency to do so are not forthcoming.

Experts monitoring the implementation of the Right to Education Act blamed both the Centre and the state governments for the high proportion of single teacher schools. Officals in the Ministry of Human Resource Development blamed it on slackness of the local administration to fill the vacancies and ensuring uniform teacher strength across schools. On the other hand, Ambarish Rai, national convenor of voluntary organisation Right to Education Forum, said states contend that they lack resources to enroll teachers. This notwithstanding the fact that the Sarva Siksha Abhiyan programme has been receiving higher funding since the enactment of the Right to Education Act in 2010.

In this fiscal, it has received `22,500 crore, a 27 per cent increase over the allocation during the last fiscal. Mainuddin is a Class IV student of such a school in Jharkhand. His father Imtiaaz, a small-time retailer, had dreamt of giving good education to his child at the formative stage and get him admitted to a good school later. "With the education he has got, I wonder if he will get admission in any good school," he said, blaming rampant absenteeism of the teacher and poor teaching for the lack of Mainuddin's academic development.

नियमों के फेर में लटका मुफ्त शिक्षा का अधिकार

Source: Dainik Tribune

नियमों के फेर में लटका मुफ्त शिक्षा का अधिकार

शैलेन्द्र सिंह, नई दिल्ली

देशभर में बच्चों को 14 साल तक मप्त एवं अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) प्रदान करने के उद्देश्य से लागु शिक्षा का अधिकार कानून का लाभ राजधानी में ही हजारों बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। समस्या कान्न की नहीं बल्कि इसे लागु करने वाले स्कुलों पर स्थानीय प्रशासन के नियमों की है, जिसके परिणामस्वरूप न चाहते हुए भी गरीब अभिभावकों को या तो सरकारी स्कलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है या फिर अपना पेट काटकर पांचवीं के बाद बच्चों को निजी स्कुलों में भेजन पड़ रहा है। कारण, राजधानी में दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त ऐसे करीब 1100 छोटे निजी स्कल है जिनकी मान्यता पांचवी कक्षा तक ही सीमित है और ऐसे स्कूल गरीब कोटे के विद्यार्थियों को पांचवीं के बाद छठीं में पढ़ा पाने में असमर्थ हैं।

उत्तम नगर के रहने वाले संजीत कुमार सिंह ऐसे ही अभिभावक हैं जिनका बेटा हिमाशु पिछले पाच सालों से गरीब कोटे के अन्तर्गत निजी स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसद सीटों पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहा था। संजीत ने बताया कि इस बार इस स्कूल में कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने को तैयार

 नगर निगम से मान्यता प्राप्त छोटे निजी स्कलों के गरीब परिवार के विद्यार्थी पांचवीं के बाद मफ्त शिक्षा के अधिकार से हो रहे हैं वंचित

	बजट निजी स्कूलों की स्थिति	
	पांचवी तक के स्कूल	1100
	आठवीं तक के स्कूत	900
	दसवीं तक के स्कूल	600



संजीत कुमार अपने बेटे हिमांशु और पत्नी के साथ।

का अधिकार कानून के अन्तर्गत 14 साल तक मुफ्त शिक्षा पाने के योग्य मेरे बच्चे को पांचर्वी कक्षा के बाद से ही यह अवसर उपलब्ध नहीं है। संजीत ने बताया कि दरअसल, उनके बच्चे का दाखिला स्थानीय सरकारी स्कूल में हो रहा है लेकिन उनका बच्चा वहां जाने को तैयार नहीं, ऐसे में जिस स्थानीय निजी स्कूल में दाखिला उपलब्ध है वहां गरीब कोटे की सीटें पहले से भरी हुई है। संजीत कहते है कि समस्या इतना बड़ी है उपलब्ध कक्षएं खत्म हो गई है और शिक्षा नहीं है और निजी स्कूल में पढ़ाने की मेरी

क्षमता नहीं है। ये कहानी अकेले संजीत की नहीं है। राजधानी में ऐसे करीब 1100 स्कूल है और यदि प्रति स्कूल 50 बच्चे भी छठी कथा में दाखिला ले गहे हैं तो इस परेशानी से करीब 50 हजार विद्यार्थी व उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल, दिल्ली में आरटीई विंग के प्रमुख चंद्रकांत सिंह बताते हैं कि वर्ष 2010 में लागू शिश्रा का अधिकार कानून बच्चों को 14 साल तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है लेकिन दिल्ली में नियमों के

फेर में ये लाभ अधूरा है। इस समस्या का समाधान निगम से मान्यता प्राप्त स्कलों को तीन कक्षाओं की खंडित मान्यता देने से हो सकता है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसके चलते गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूली पढ़ाई भी मुश्किल

इस विषय में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कुल्स एलांइस (नीसा) के सचिव अमित चंद्रा कहते हैं कि यह समस्या बड़ी है। शिक्षा के अधिकार कानून का उद्देश्य राजधानी में मान्यता के फेर में पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। अमित कहते हैं कि इस समस्या के निदान के लिए दिल्ली सरकार को खंडित मान्यता का प्रस्ताव दिया गया है जिसे मंजरी मिलने से हजारों बच्चों के परिवारों को गहत मिल सकती है। अमित ने बताया कि खंडित मान्यता में हमारी मांग है कि पांचवी तक के छोटे निजी स्कूलों को आठवीं तक (तीन कक्षएं दूसरी पाली में), आठवीं तक के स्कूलों को दसवीं तक (दो कक्षाएं दूसरी पाली में) और दसवीं तक के स्कूलों को बारहवीं तक (दो कक्षाएं दूसरी पाली में) पढ़ाने की मंजूरी दी जाएं। यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ शिक्षा का अधिकार बल्कि दिल्ली के अन्य बच्चों के लिए भी स्कूली शिक्षा आसान हो जाएगी।

प्रदेश सरकार हजम कर गई आरटीई की 65 फीसदी ग्रांट

Source: Amar Ujala

प्रदेश सरकार हजम कर गई आरटीई की 65 फीसदी ग्रांट

चंडीगढ़। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलाइंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के चार साल बाद भी सरकार गरीबों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिला पाई है। रविवार को चंडीगढ प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीई के नाम पर भ्रष्टाचार बढा है और सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई का डर दिखाकर स्कूल संचालकों को परेशान कर रहे हैं।



Grade Schools, Change Course every 5 years: HRD Panel

Source: The Times of India



NEW DELHI: Framing legal standards and benchmarks for coaching institutes, limiting 'no-detention' till Class V, grading schools and introducing a new curriculum framework to replace the 2005 National Curriculum Framework (NCF) are among important recommendations made by the human resource development ministry's panel to evolve a national education policy.

Headed by ex-Cabinet secretary T S R Subramanian, the committee has said textbooks and pedagogy should have a high ethical content so that education contributes to making for a better human being. It has recommended a review of curriculum every five years instead of 10 as is the case now. If this proposal is accepted, NCERT textbooks will change in the next few years.

"School education has to be reformed and in general terms institutional autonomy has to go together with high-level accountability," a highly-placed source said.

The recommendations will be discussed with states and the HRD ministry plans to launch 25 programmes as part of the new education policy. The policy proposals will be soon sent to the Cabinet.

Students should face exams after Class V: Edu panel

The panel has also recommended elementary level teaching in mother tongue and a massive programme of remedial coaching in government schools. One of the important recommendations is setting up of composite schools, already in existence in Uttarakhand and Chhattisgarh, so that many schools in an area can make common use of laboratories, playgrounds and other resources.

The committee has summarily rejected the 'no-detention' policy and said students should face examinations after Class V. "No-detention has taken away interest in teaching and quality has suffered in a big way. Right to Education Act should be amended to take away the provision of no-detention till class VIII," a source said.

The committee has said performing states should be rewarded. Also, extra support should be given to teachers who have done outstanding papers and research. In another significant recommendation, the committee has said foreign universities will not be allowed to set up stand-alone campuses in India but will need to have a domestic partner.

Reviewing the functioning of existing institutions, the committee has said the National University of Educational Planning & Administration (NUEPA) should be completely overhauled since it has failed to deliver desired results. But the All India Council of Technical Education (AICTE) has been praised for being proactive and transparent while UGC needs to be more transparent.

The panel has noted that poor quality despite massive expansion is one of the biggest problems of Indian education system. "In the last more than six decades, massive investments have been made in education but there has been a big question on quality. So far the tendency has been to make big-bang announcements without carrying out reform at ground level," a source said.

"Grading system will help government to find out why some schools are doing better and what intervention will be needed by the government. We are also serious about IES," the source said.



हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं करती सरकारः शर्मा

Source: Punjab Kesari

हार्डकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं करती सरकार : शर्मा

हाईकोर्ट का हवाला देकर संचालकों को दी जा रही है मान्यता रद्द करने की धमकी

चंडीगढ, 11 अप्रैल (का.प्र.): की अनदेखी करने वाली सरकार के नैशनल इंडिपैंडैंट स्कूल एलाइस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा में हाईकोर्ट के आदेश भी सरकार की मर्जी से लागु किए जाते हैं । हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए स्कुल संचालकों को मान्यता रद्द करने की रोजाना धमकियां दी जा रही है, लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेशों को सरकार द्वारा लागु करने की बात आती है तो सरकार कोर्ट के आदेशों का मजाक उडाना अपना हक समझती है। उन्होंने कहा कि स्कूल हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करें तो गुनाह और सरकार अनदेखी करें तो अधिकार। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश से आग्रह किया कि जनहित में हमेशा कोर्ट ने अपने स्तर पर सरकार की मोनोपली के खिलाफ फैसले लिए हैं तो ऐसे में हाईकोर्ट को निजी स्कूल संचालकों की पीड़ा को समझते हुए कोर्ट आदेशों

खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।

चंडीगढ प्रैस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में शर्मा ने कहा कि रूल 134ए के तहत फ्री एडिमशन के नाम पर भाजपा सरकार गरीबों के साथ मजाक उड़ा रही है। हाईकोर्ट ने निजी स्कुल संचालकों की पीड़ा को समझा और सरकार को आदेश दिए कि रूल 134ए के तहत निजी स्कूल जिन भी गरीब बच्चों को पढाते हैं।

सरकार फ्री एजुकेशन देने पर निजी स्कुल संचालकों को रिइम्बर्समेंट दें, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने रिझ्म्बर्समें ट को लेकर कोई भी पॉलिसी निर्धारित नहीं की। उन्होंने कहा कि स्कल संचालकों को कोर्ट के आदेशों की धमकियां दी जाती है तो वहीं खुद सरकार कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर निजी स्कुल संचालकों को रिइम्बर्समैंट देने को तैयार नहीं है।

सरकार से टकराने को तैयार प्राइवेट स्कूल मालिक

Source: Dainik Jagran

सरकार से टकराने को तैयार प्राइवेट स्कूल मालिक

राज्य ब्यरो, चंडीगढ : नेशनल इंडीपेंडेंट स्कल एलाइंस (नीसा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्राइवेट स्कूलों के हित की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकारों पर केंद्र के शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) का दरुपयोग करने, इसे लागु करने की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और केंद्र से अनुदान हड़पने के लिए स्कुलों में फर्जी छात्र संख्या दिखाने के आरोप लगाए गए।

चंडीगढ के सेक्टर 22 स्थित एक होटल में आयोजित दो दिवसीय बैठक के बाद नीसा अध्यक्ष कलभषण शर्मा ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानन बनने के छह साल बाद भी इसे बच्चों के हित में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। छोटे कस्बों और शहरों में प्राइवेट स्कूल संचालक केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून का बखुबी अनुपालन कर रहे हैं, जबिक अनुदान हड़पने के चक्कर में राज्य सरकारों ने सभी सरकारी स्कूलों को नेबरहुड स्कूलों में शामिल कर लिया।

ऐसा केंद्र से अनुदान हासिल करने की सोच के तहत किया गया है। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानन के तहत क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 प्रतिशत तक

- केंद्र से अनुदान हासिल कर रही सरकारें लेकिन प्राइवेट स्कूलों में गरीबों को मुफ्त पढाने का दबाव बर्दाश्त नहीं
- नेशनल इंडीपेंडेंट स्कूल एलाइंस (नीसा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य सरकारों पर दबाव बनाने का निर्णय

स्कूलों को हर्ज नहीं अगर सरकार करे भरपाई

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने फैसला लिया है कि उन्हें गरीब बच्चों को पदाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को भरपाई करनी होगी। अगर सरकारों को केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही होती तो भी प्राइवेट स्कूल कम अनुदान लेने पर विचार कर सकते थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को मुपत पदाने के लिए बाकी बच्चों पर फीस बढाकर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता।

अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार इसे खुद हड़प रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की खामियां उजागर करने पर वे आरटीई में स्कूलों की मान्यता खत्म करने का दबाव बना रहे हैं।





THE NATIONAL INDEPENDENT SCHOOLS ALLIANCE (NISA) COMMUNIQUÉ



NISA Annual Strategy Planning Meet

Date: 29 April - 01 May 2016

Venue: Piccadilly Hotel, Chandigarh

NISA hosted a 3-day Annual Strategy Planning Meet with its Executive Council and members. The day one of the meet was dedicated only for executive council members to discuss the issues of Budget Private Schools and map out the yearly goals and action plan for the year.

Rest of the two days was dedicated to annual meet with all the members including executive council members. 47 Members from 16 state associations attended the two-day long planning meet. The annual meet had sessions on strategy, planning, legal intervention, generating meaningful data, building organization apart from discussion and decision making for the organization.

Dr. Parth Shah, President, Centre for Civil Society, opened the session by laying emphasis on the need for private schools to stand together to defend their cause against the policies of the government. He also outlined some of the problem areas and suggested solutions like voucher system, which ensures parental choice and good quality of education for the child.

Organizations like Quality Education Asia and XGen Personal and their representatives also participated and took

sessions highlighting the need for quintessential change which is required in the process of learning.

One of the speakers stressed on the fact that creating or generating evidence is a crucial part of any sort of policy change. The key takeaways were summarised in three simple models of collecting data namely:

- a) community driven data collection;
- b) association driven data collection;
- c) collaboration with the government itself.

Another session emphasized the requirement of a central repository of documentation / collected information etc., for the purpose of the intended litigation or legal advocacy that NISA wishes to engage in the present and future. This repository is to be accessible to the paid members of NISA, and is to include / store, relevant judgments, decisions, orders, bye-laws, rules, acts (Central and State), names of the schools associated with NISA, internal assessments of the students studying in the concerned schools, number of students NISA represents etc. The session also discussed various prospective and existing litigations on NGT matters, Land Norms, RTE requirements, Gujarat matter, School closure, Fee regulation, ESIC and PF.

On the last day, all the member associations from participating states were felicitated by the president of NISA for becoming active members. 16 State associations were honoured with the NISA membership certificates.

School Leaders Summit

Date: 12 May 2016

Venue: Kali Bari Hall, Shimla, Himachal Pradesh

District Shimla Private Schools Association organized a School Leaders Summit in Shimla. Representatives of around 200 Budget Private Schools actively participated in this conference. Kulbhushan Sharma, President, NISA, Thomas Antony, Associate Advocacy, Centre for Civil Society and Pradeep Shukla from Chandigarh Private Schools Association, NISA member were Chief Guest and key speakers respectively. Kulbhushan Sharma discussed about the BPS

policy challenges and Thomas shared NISA's advocacy initiatives with all the state associations.



Punjab Educational Conference 2016

Date: 22 May 2016

Venue: Jalandhar, Punjab

Punjab Private Schools Organization organized a full day Punjab Educational Conference 2016 in Jalandhar. This conference was attended by more than one thousand delegates from all over Punjab.

Shri Sewa Singh Sekhwan, Former Education Minister and Chairman Punjab Technical Education and Industrial Training Punjab was the chief guest, Mr Kulbhushan Sharma, President, NISA and Amit Chandra, Director Policy Advocacy, Centre for Civil Society were the invitees and the attendees.









Association of Private Schools', Uttar Pradesh Meeting with NISA

Date: 22 June 2016

Venue: Panna Public School, Malihabad



Association of Private Schools, Uttar Pradesh and NISA organized a half day meeting with Budget Private Schools (BPS) of Malihabad district on June 12 2016. In this meeting Rohan Joshi, Associate Director- Research, Centre for Civil Society (CCS) and Thomas Antony, Advocacy Associate, CCS participated along with 40 budget private schools (BPS) and discussed about the possibilities of launching the Quality Improvement Program for BPS and other policy issues.



azadi views

कैसे मिले 'मन मुताबिक़ शिक्षा' का अधिकार ?

देश के प्रत्येक बच्चे को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए, यह एक आदर्श वाक्य है। यह वाक्य जितना आदर्शवादी है उतना ही निर्विवाद भी है। भला कौन कहेगा कि समुचित शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए! शायद कोई नहीं। खैर, इस आदर्श वाक्य को मै दो शब्दों की वजह से अधूरा मानता हूँ। बेहतर होता कि हम ये कहते कि "देश के प्रत्येक बच्चे को 'मन-मुताबिक़' शिक्षा मिले" बजाय कि उपरोक्त वाक्य कहें। शाब्दिक तौर पर दोनों ही वाक्य समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन व्यहारिकता के स्तर पर प्रयोग होने वाले सिद्धांतों के धरातल पर दूसरा वाक्य ज्यादा सुधारवादी एवं पारदर्शी है। चूँिक किसी बच्चे को शिक्षा मिले यह तो अच्छा है ही, लेकिन वह शिक्षा उसके एवं उसके अभिभावकों की सहूलियत, उनकी इच्छा के अनुरूप मिले, इसका भी ख्याल रखा जाना बेहद जरुरी है। आज से पांच साल पहले ही भारत शिक्षा का अधिकार दे चुका है लेकिन बावजूद इसके हम बच्चों को उनके मन-मुताबिक़ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार के तहत अपने मर्जी के विद्यालय का चयन कर सके, अन्यथा शिक्षा के अधिकार की वर्तमान अवधारणा अधूरी मानी जायेगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि वह कौन सा मॉडल हो जो इस बात को सुनिश्चित कर पाए कि स्कूल चयन करने का अधिकार बच्चे अथवा उसके अभिभावक को है ? इस प्रश्न पर अवश्य विचार होना चाहिए लेकिन पहले वर्तमान में सरकारों द्वारा शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू करने के मॉडल पर संक्षिप्त चर्चा की जानी अनिवार्य है। दरअसल वर्तमान मॉडल के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वो छ: से चौदह साल तक के हर बच्चे को मुफ्त (हालांकि कुछ भी मुफ्त नहीं होता) शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन सरकारी तंत्र इसको लागू करने में बुरी तरह असफल रहा। इसके बाद इसे प्राइवेट स्कूलों में भी 25 फीसद कोटे के तहत लागू करने की बात की गयी। सरकार ने प्रावधान तय किया कि निजी स्कूल गरीब बच्चों के लिए 25 फीसद आरक्षित सीट रखें और उन्हें मुफ्त शिक्षा दें, जिसकी भारपाई सरकार 'रिम्बर्समेंट' से करेगी। लेकिन 'रिम्बर्समेंट' की प्रणाली और बुरी तरह फेल हुई। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में एक दीवार खींच गयी गरीब बनाम अमीर बच्चों की।

सरकारें इस बात को समझने में बुरी तरह नाकाम रहीं कि उनका यह मॉडल एक नयी समस्या पैदा कर रहा है। ऐसे में जब सरकार द्वारा आजमाए तमाम मॉडल फेल हो रहे हैं, तो वाउचर अथवा 'डायरेक्ट कैश ट्रांसफर' प्रणाली पर सोचा जाने लगा है। एक बार इस मॉडल पर विचार क्यों न करें कि रिम्बर्समेंट का पैसा स्कूलों को देने की बजाय सीधे 'बच्चे' को दिया जाय? चाहें तो वाउचर के माध्यम से हो अथवा कैश माध्यम हो। अगर ऐसा किया गया तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बनाम अमीर बच्चे की दीवार खड़ी हुई है, वो ध्वस्त होगी। कोई भी मुफ्त में पढ़ रहा है, अथवा कोई भी स्कूल किसी बच्चे को मुफ्त में पढ़ा रहा है, जैसी अवधारणायें भी खंडित होंगी। सब अपनी पढ़ाई का शुल्क एक ढंग से स्कूल में जमा करेंगे, चाहें वो गरीब हों या अमीर हों।

इस दिशा में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने व्यापक स्तर पर सुधारवादी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हरियाणा सरकार ने इस थ्योरी को स्वीकार किया है कि अगर रिम्बर्समेंट की राशि विद्यालयों की बजाय सीधे बच्चे



अर्थात उसके अभिभावक को दी जाय तो यह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। कुछ अन्य राज्यों में भी इस प्रणाली को प्रयोग में लाने की कोशिशों हो रही हैं। इस दिशा में नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल एलायंस (निसा) ने कई स्तरों पर सरकारों पर दबाव बनाने से लेकर उन्हें समझाने तक के स्तर पर काम किया है। इसी का परिणाम है कि अब विधायिका स्तर के नीति-निर्माता इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं कि बजाय कि स्कूलों को धन देने के सीधे बच्चों को धन मुहैया कराया जाय।

हालांकि समाजवादी एवं साम्यवादी अवधारणा ने हमेशा से समाज को शक की निगाह से देखने का आम चलन विकसित किया है। इस नजिरये से जब कोई सोच रहा होता है तो वो समाज से ज्यादा सरकारी तंत्र पर अंध-विश्वास करने लगता है, जबिक हमारे भारतीय समाज में तमाम चीजें बेहद गैर-सरकारी(राज्य के सन्दर्भ में) सहजता से संचालित होती रही हैं। शिक्षा उनमें से एक है। प्राचीन भारत में शिक्षा कभी राज्य आश्रित नहीं रही है। हाँ राज्य मदद करते रहे हैं क्योंकि वे टैक्स लेते हैं। आज के दौर में जब सशक्तिकरण का मानदंड आर्थिक मजबूती है, ऐसे में 'मुफ्त' की किसी भी प्रणाली से सुधारवादी योजना शुरू करना महज सुधारों के 'यूटोपिया' में जीवन जीना है। हमें समझना होगा कि जहाँ भी दो लोगों के बीच में कोई ऐसा संबंध है जिसमे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर 'अर्थ' जुड़ा है, वहां जवाबदेही का पैमाना भी अर्थ से ही तय होता है। विद्यालय उसकी खुशामद करेंगे जिनसे उन्हें पैसा मिलेगा।

अगर सरकार सीधे विद्यालयों को पैसा देती है तो विद्यालय, शिक्षक भी सीधे सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे न कि विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक के प्रति। लेकिन इसके उलट अगर पैसा विद्यार्थी की जेब में हो तो विद्यालय प्रशासन समेत शिक्षक तक उस विद्यार्थी के संतुष्टि की दिशा में प्रयास करेंगे। सरकार अगर विद्यालयों की बजाय बच्चे के अभिभावक को पैसा अथवा वाउचर दे दे तो उस अभिभावक के पास अपने बच्चे के लिए 'स्कूल च्वाइस' का विकल्प मिल जाएगा। वो कई स्कूलों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद दाखिला कराएगा। ऐसे में विद्यालयों पर यह दबाव होगा कि वो अपनी गुणवत्ता से अभिभावकों को आकर्षित कर सकें। लिहाजा विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी। गरीब का बच्चा भी उतने ही आत्मविश्वास से स्कूल जाएगा जिस आत्मविश्वास से किसी अमीर का बच्चा जाता है। यह सब तब संभव है जब 'रिम्बर्समेंट' की राशि स्कूल की बजाय बच्चे के अभिभावक को दी जाय। हमें अब स्कूल च्वाइस का अधिकार हर अभिभावक और हर बच्चे को देने की जरुरत है। यही वो एकमात्र उपाय दिख रहा है जो शिक्षा के अधिकार को वास्तविक ढंग से धरातल पर उतार पाने में सफल होगा।

- Azadi.me

भारत में शिक्षकों पर ज्यादा खर्च

भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भले ही निचला हो, लेकिन यहं के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के वेतन पर चीन और जापान के मुकाबले भारत ज्यादा खर्च कर रहा है। भारत के 9 राज्यों (यूपी, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, तिमलनाडु, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़) में सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 फीसदी खर्च शिक्षकों के वेतन पर हो रहा है, जबिक शिक्षकों के वेतन पर अन्य एशियाई देश कई गुना कम खर्च कर रहे हैं।

हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एजुकेशन इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की है। इसमें उन्होंने बताया कि चीन, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत सरकारी शिक्षकों के वेतन पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। शिक्षकों के वेतन पर जहां चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत, जापान 105 प्रतिशत, इंडोनेशिया 0.5 और पाकिस्तान और बांग्लादेश का खर्च काफी कम है। वर्तमान में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी सदस्य गीता का कहना है कि भारत में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर इतना खर्च करने के बाद भी शिक्षा का स्तर काफी निम्न है, जबिक अन्य देशों में कुल सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षकों के वेतन पर भारत के मुकाबले कम खर्च होता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता काफी ऊंची है।

साभारः- प्रिया गौतम (हिंदुस्तान, नई दिल्ली)

-Azadi.me

पूंजीपतियों के लिए तो नही बना आरटीई क़ानून?

शिक्षा का अधिकार क़ानून-२००९ लागू होने के बाद यह उम्मीद जताई गयी कि यह क़ानून प्राथमिक स्तर पर देश के गरीब से गरीब बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। लेकिन अपने पेंचीदा प्रावधानों की वजह से आज यह क़ानून ही सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। इससे पहले की हम शिक्षा के अधिकार क़ानून की खामियों पर बात करें, हमे इस बात पर गौर करना होगा कि कोई भी क़ानून लाने का उद्देश्य क्या होता है? बुनियादी समझ की बात है कि क़ानून हमेशा अव्यवस्था को समाप्त कर व्यस्थित ढंग से किसी भी प्रणाली को संचालित करने के लिए लाया जाता है। लेकिन अगर वो क़ानून ही अपनी पेंचीदिगियों की वजह से व्यवस्था को जटिल एवं दुरूह बना दे तो फिर उस क़ानून का औचित्य ही क्या है?

भारत के सन्दर्भ में अगर हम प्राथिमक शिक्षा की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दो-ढाई दशकों में सरकारी स्तर पर प्राथिमक शिक्षा की हालत बदहाल हुई है। शिक्षकों का अभाव, व्यवस्था की कमी, गुणवत्ता के प्रति लापरवाही आदि की वजह से अभिभावकों का मोह सरकारी स्कूलों से भंग हुआ है। हालत इतनी बुरी है कि सरकार तमाम प्रलोभन देकर भी छात्रों को सरकारी स्कूलों तक नहीं बुला पा रही है। पिछले दो दशकों में जिस तेजी से सरकारी प्राथिमक स्कूलों की गुणवत्ता में गिरावट हुई छोटे-छोटे गली मुहल्ले में प्राइवेट स्कूलों में भेजने लगा।

ग्रामीण इलाकों में तो एक अजीब किस्म का चलन भी पैदा हो गया कि सरकारी स्कुल मुफ्त में छात्रवृति, ड्रेस, स्टेशनरी आदि की स्कीम देते हैं तो लोग इन प्रलोभनों को हासिल करने के लिए अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में भी करा देते हैं जबिक पढ़ने के लिए रोज किसी प्राइवेट स्कूल में भी भेजते हैं। चूँिक अभिभावक जानते हैं कि स्कीम्स सरकारी स्कूलों में है और शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों में, लिहाजा जहाँ से जो मिलता है वहां से वो लाभ लेते हैं। स्कीम्स सरकार से और शिक्षा प्राइवेट से! लेकिन शिक्षा का अधिकार क़ानून आने के बाद इन प्राइवेट स्कूल्स पर खतरा मडराने लगा है। नए नियामकों में जिन प्रावधानों को रखा गया है उन प्रावधानों के लिहाज से देश के लाखों गली-मुहल्लों के स्कूल अवैध मान लिए जायेंगे। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल हजारों स्कूल बंद हुए हैं। २००९ में यह क़ानून आने के बाद से ही देश के अलग-अलग राज्यों में प्रत्येक साल सत्रारम्भ के दौरान यह संकट खड़ा होता है और हजारों की संख्या में छोटे-छोटे बजट स्कूलों का भविष्य अधर में नजर आता है।

आइये जानते हैं क्या समस्या?

आरटीई क़ानून के प्रावधान में दो प्रमुख बिन्दु हैं जहाँ छोटे-छोटे स्कूलों को दिक्कत आ रही है। पहला, एक निश्चित क्षेत्रफल में जमीन की अनिवार्यता और दूसरा गली-मोहल्ले के स्कूलों के लिये भी मान्यता की बाध्यता। चूँिक क़ानून आने से पहले देश के हर राज्य में छोटे-छोटे प्राइवेट स्कुल गली-मुहल्लों की बिल्डिंग्स में खुल गये थे। तब न तो मान्यता की जरुरत थी और न ही तय क्षेत्रफल की को बाध्यता थी। अब सरकार नए नियामकों के तहत पुराने स्कूलों पर भी नए नियम थोप रही है। आरटीई के अतर्गत प्राथमिक स्कूलों के लिए ८०० वर्ग मीटर और मिडिल के लिए १००० वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य रखा गया है। अब बड़ा सवाल है कि जिन इलाकों की बसावट में कभी ऐसे छोटे-छोटे स्कूलों के हिसाब से निर्माण ही नही हुआ है, वहां इन नियमों का पालन भला पहले से संचालित

स्कूल कैसे कर लेंगे? दुसरी बात यह भी है कि गली-मोहल्लों में चलने वाले इन स्कूलों की फीस पचास रूपये से पांच सौ तक होती है और एक कक्षा में अधिकतम तीस से ज्यादा बच्चे पढ़ाने का प्रावधान नहीं है तो भला ये छोटे स्कूल नई जगह पर अपना स्कूल कैसे खोल सकते हैं? न तो इनके पास इतनी आय है और न ही इतना बजट, जिससे कि ये स्कूल आरटीई के तय मानकों को पूरा कर सकें। रही बात मान्यता की तो पहले सातवीं तक के स्कूलों के लिए मान्यता लेना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब नये नियम के हिसाब से मान्यता अनिवार्य है।

सवाल है कि अगर आरटीई के मानकों के आधार पर कोई स्कुल खोलेगा तो उसे शुरू में ही बड़ा इन्फ्रा निवेश करना होगा, तो क्या वो कम फीस में शिक्षा दे पायेगा? अगर नहीं दे पायेगा तो वे बच्चे कहाँ जायेंगे जिनके अभिभावक सौ रूपये से पांच सौ तक ही अपने बच्चे पर खर्च कर सकते हैं? स्कूल च्वाइस से सम्बन्धित रिसर्च पर काम कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के एसोसिएट डायरेक्टर अमित चंद्रा कहते हैं, 'कहीं न कहीं सरकार आरटीई के जिरये शिक्षा को छोटे-छोटे लोगों के हाथ से लेकर बड़े-बड़े पूंजीपितयों के हाथों में देना चाहती है। क्योंकि गुणवत्ता की बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर ज्यादा तरजीह देना यह साबित करता है कि सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर कम और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य ने इस मामले में दिशा दिखाई है। वहां नियम लागू होने से पहले के स्कूलों को इस नियम में राहत दी गई है। उसके बाद वे देखते हैं कि क्या पुराने स्कूल का प्रदर्शन बेहतर है और इस आधार पर उन्हें छूट दी जाती है।'

आरटीई खुद पर लागू नही करती सरकार ?

गली-मुहल्लों में चल रहे प्राइवेट स्कूल्स को आरटीई के नियामकों को पूरा करने का दबाव डाल रही सरकारों द्वारा अपने प्राथमिक विद्यालयों में वहीँ नियामक क्यों नही लागू किया जाता है ? नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलायंस द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश से आये मान्यता प्राप्त शिक्षा संघ के प्रदेश प्रभारी राहुल भारती बताते हैं, 'आरटीई में जो मान्यता लेने का दबाव सरकार की तरफ से पुराने स्कूलों को दिया जा रहा है उससे लाखों की संख्या में

वो बच्चे सड़क पर आ जायेंगे जिनकी शिक्षा इन स्कूलों पर निर्भर है। वहीँ उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय संघ की तरफ से जन्तर-मंतर पर आये ब्रजेश यादव कहते हैं, 'सरकार अपने प्राथमिक स्कूलों के लिए तो आरटीई के मानदंडों पर बिल्डिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती लेकिन बाकी जो प्राइवेट स्कुल चल रहे हैं उनपर हर साल डंडा लिए रहती है। २०११ में भी सरकार ने इन विद्यालयों को बंद करने का नोटिस दिया था, तब भी हम सडक पर उतरे। २०१३,१४,१५ में भी यही रहा। सरकार को स्थायी समाधान देने की जरुरत है। आखिर लाखों बच्चे कहाँ जायेंगे ? उनकी क्षमता बड़े स्कूलों में पढ़ने की नहीं है और छोटे स्कूलों का बजट आरटीई के मानकों को पूरा करने का नहीं है। जन्तर-मंतर पर महाराष्ट्र से आये भरत मिलक कहते हैं, 'छोटे-छोटे यानी बजट स्कूलों में जब आरटीई के मानकों को शत-प्रतिशत लागू करने का दबाव आएगा तो या तो ये स्कूल बंद हो जायेंगे या फिर गलत काम करेंगे। भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार काफी हदतक इस स्थिति को समझ रही है लेकिन इसका स्थायी समाधान क़ानून में संशोधन से ही सम्भव है।

पचास हजार से ज्यादा स्कूलों पर खतरा

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अगर आरटीई के नियमों में ढील नहीं दी गयी अथवा पुराने स्कूलों से यह नियम हटाया नहीं गया तो लगभग लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे। क़ानून से स्कूल तो बंद किया जा सकता है लेकिन बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा इसको लेकर किसी के पास कोई योजना नहीं है। सरकारी स्कूलों के फेल्योर होने के बाद ही प्राइवेट स्कूल आये हैं, अगर इनको आरटीई के वर्तमान नियामकों में बाँधा गया तो प्राइवेट स्कूल भी चंद बड़े पूजीपतियों के हाथ का खिलौना बनकर रह जायेंगे। अगर हम शिक्षा को चंद पूजीपतियों के हाथ में नहीं देना चाहते और हर आम-ख़ास के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो इन बजट स्कूलों को बचाना होगा वरना लाखों बच्चों का भविष्य अधर होगा।

-Azadi.me



आरटीई: शिक्षा नहीं कानून का अनुपालन है सरकारों की प्राथमिकता

आज से ठीक पांच साल पहले १ अप्रैल २०१० को 'शिक्षा का अधिकार' क़ानून ८६वें संशोधन के तहत लागू किया गया था। इस क़ानून को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी जाय। इस क़ानून के लागू होने के बाद शिक्षा प्राप्त करना न सिर्फ हर बच्चे का अधिकार बना बल्कि सरकार की यह जवाबदेही तय हो गयी कि वो 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित कर सके। प्रथम दृष्ट्या जब इस कानून और इसके उद्देश्यों को देखते हैं तो बेहद आदर्श स्थिति नजर आती है। ऐसा लगता है कि सबको शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में यह क़ानून परिवर्तनकारी साबित होगा। लेकिन आज शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने के पांच साल बाद जब इसके उद्देश्यों के मापदंडों पर इस क़ानून का मूल्यांकन करते हैं तो स्थिति पहले से बदतर नजर आती है। गहराई से देखने पर ऐसा लगता है कि यह क़ानून शिक्षा को सुलभ बनाने की बजाय और दुरूह बना रहा है। जिस क़ानून को बच्चों को शिक्षा के अधिकार के रूप में दिया गया वही कानून उन्हें शिक्षा से वंचित करता नजर आ रहा है। आइये जानते हैं क्या है इस क़ानून में खोट और कहाँ पैदा हो रही हैं दिक्कतें?

कानूनी बाध्यताओं में उलझी शिक्षा

इस क़ानून का उद्देश्य शिक्षा देना था लेकिन इसमें सभी स्कूलों की मान्यता होना अनिवार्य कर दिया गया। इस क़ानून के तहत बिल्डिंग कोड भी बना दिया गया जिसके तहत यह तय कर दिया गया कि पांचवी तक ८०० वर्ग मीटर और मिडिल स्कूल के पास १००० वर्ग मीटर की जगह और तय संख्या में कमरे आदि संसाधन अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, वरना मान्यता नहीं मिलेगी। आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे नियम उन स्कूलों के लिए भी अनिवार्य कर दिए गये जिन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय मदद नहीं मिलती है। इस क़ानून के तहत यह भी प्रावधान रख दिया गया कि जो स्कूल इस क़ानून के लागू होने से पहले से चल रहे हैं उनको भी आरटीई के नियामकों का पालन करना होगा। अत: जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उनके लिए इस क़ानून की शर्तों को मानना बेहद मुश्किल है।

इसमें कोई शक नहीं कि बहुतायत स्कूल छोटे-छोटे मुहल्लों में, गिलयों में, मकानों आदि में लम्बे समय से चल रहे हैं और स्थानीय सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इन स्कूलों पर आरटीई का डंडा चलने की वजह से बंद होने की नौबत आ गयी है। ३१ मार्च-२०१६ को ही दिल्ली में ८०० ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द होने की खबर मीडिया में आई है। ये स्कूल उन इलाकों में हैं जहाँ या तो सरकारी स्कूल पर्याप्त नहीं हैं अथवा इन बच्चों के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब सवाल है कि क़ानून से स्कूल तो बंद किया जा सकता है लेकिन क्या कोई क़ानून इन स्कूलों में पढ़ रहे लाखों की संख्या में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी कर रहा है ? ऐसे में अब सवाल है कि शिक्षा के अधिकार क़ानून की आड़ में स्कूलों की मान्यता रद्द करके भला हम सभी बच्चों की शिक्षा को कैसे सुनिश्चित कर लेंगे ?

अपनी जवाबदेही प्राइवेट स्कूलों पर डालती सरकार

शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी बच्चों को मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। लेकिन आश्चर्य है कि सरकार द्वारा ऐसा करने के बावजूद अभिभावक अपन बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने को तैयार नही हैं। कारण ? कारण सिर्फ गुणवत्ता है। कानूनी उलझनों में शिक्षा को उलझा कर कहीं न कहीं इसके गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, जिसकी वजह से अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हुआ है। अब चूँिक लोग मुफ्त की खराब शिक्षा की बजाय पैसे देकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी आरटीई का क़ानून एक मुसीबत पैदा कर रहा है। इस क़ानून में यह प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूल २५ फीसद सीट गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित रखेंगे। ऊपर से प्रावधान यह कि अगर वो पचीस फीसद सीट न भरे तो उसे खाली रखा जाय! अर्थात बेशक देश का कोई बच्चा सीट न हो पाने की वजह से दाखिला न ले पाए लेकिन उस २५ फीसद को कोटे के हिसाब से खाली रखा जाय। और तो और उन खाली सीटों के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) भी नहीं दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित २५ फीसद सीटों के ऐवज में मिलने वाली प्रतिपूर्ति का कोई अता पता नहीं है। स्कूल संचालक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।

अब सोचिये, यह कैसा दोहरापन है कि जब सरकारें अपने स्कूलों में तो बेहतर शिक्षा दे पाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है तो प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त शिक्षा देंने के लिए क़ानूनन बाध्य करने लगी है। हालांकि देखें तो कानून के मुताबिक़ मुफ्त शिक्षा देने की जवाबदेही तो सरकार की थी, फिर उसने पचीस फीसद बच्चों की जिम्मेदारी निजी स्कूलों के ऊपर क्यों डाल दी ? कहीं न कहीं यह यह दर्शाता है कि अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में पूरी तरह से असफल होने के बाद अब इस क़ानून के जिरये प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है।

किसको लाभ पहुंचा रहा यह क़ानून ?

बिल्डिंग कोड, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की बाध्यता लागू करने से छोटे स्कूल तो बंद होने की स्थिति में हैं लेकिन बड़े और पूजीपितयों के स्कूलों पर इसका कोई असर नहीं है। चूँिक उनको मान्यता लेने में भी दिक्कत नहीं है। उनके पास प्रॉपर्टी की भी कोई समस्या नहीं है। उनकी सरकारी तंत्र में पहुँच भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात उनकी फीस भी इतनी ज्यादा है कि वे इन संसाधनों को एफोर्ड भी कर पा रहे हैं। लेकिन पांच कमरों में चल रहा एक छोटा स्कूल जिसकी फीस पचास से चार सौ रूपये तक है, भला कैसे इन शर्तों को अपने स्कूल लागू कर पायेगा ? लिहाजा उसके पास इन स्कूलों को बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस देश की परम्परा में तो एकल स्कूल तक चलाने की आजादी रही है, लिहाजा स्कूलों को कानूनी जकड़नो में बांधना कहीं न कहीं भारतीय शिक्षा की मूल परम्परा के खिलाफ जाकर शिक्षा को उद्द्योगपितयों के हवाले करने जैसा है। छोटा और सामान्य व्यक्ति आरटीई क़ानून के तहत स्कूल चला ही नहीं सकता है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक एम.जी वैद्य ने अपने एक लेख में इसबात का जिक्र किया है कि पचास के दशक के उपरान्त बालासाहब देशपांडे नाम के एक सरकारी अधिकारी ने तबके सर संघचालक गुरुजी से प्रेरणा लेकर वनवासी



कल्याण आश्रम के तहत एकल स्कूलों का प्रकल्प चलाया। आज की तारीख में गरीब तबके के बच्चों के लिए पचास हजार से ज्यादा एकल स्कूल छोटे स्तर पर चल रहे हैं। क्या आरटीई के तहत ऐसे हजारों स्कूलों को बंद करके ही शिक्षा को सुनिश्चित करना समाधान है ?

आरटीई के बाद शिक्षा में बदलाव

शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने से पहले और लागू होने के बाद शिक्षा की स्थिति में कैसा बदलाव हुआ है, इसका मूल्यांकन किया जाना जरुरी है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और आज़ादी.मी द्वारा जारी एक आंकड़े में बताया गया है कि २०१० में जब यह क़ानून लागू किया गया तब सरकारी स्कूल के 65.5 फीसद और प्राइवेट स्कूलों के 76.2 फीसद बच्चे फर्स्ट लेवल की किताबों को ढंग से पढ पाने में सक्षम थे। लेकिन वर्ष 2011, 2012,2013 और 2014 में क्रमश: यह आंकड़ा सरकारी स्कूलों के बच्चों में कम होता गया जबकि प्राइवेट स्कूलों में यह औसतन स्थिर रहा। क्रमश: सरकारी स्कूलों के सन्दर्भ में यह आंकड़ा 2014 में गिरकर 65.5 से 49.2 फीसद तक पहुंच चुका है जबकि प्राइवेट स्कूल में यह आंकड़ा 2014 में 73.1 है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों की शिक्षा के गुणवत्ता में लगातार कमी आई है जबिक प्राइवेट स्कूल बेहतर किये हैं। वही अगर सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय के मामले में पड़ताल करें तो वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में गुजरात को छोडकर तमाम राज्यों में शिक्षा पर सरकार द्वारा व्यय 48 फीसद से 150 फीसद तक की वृद्धि हुई है, जबिक गुजरात में इस मद में होने वाले खर्च में 15 फीसद की कमी हुई है। बावजूद इसके शिक्षा की गुणवत्ता इन राज्यों की तुलना में गुजरात की अच्छी है। अब सवाल है कि इन आंकड़ों के बाद क्या शिक्षा के अधिकार कानून के औचित्य पर बहस नहीं होनी चाहिए ?

गुजरात मॉडल से क्यों सीख लेने की जरुरत

स्कूल च्वाइस पर काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी एवं आजादी.मी द्वारा जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने स्कूलों को मान्यता देने को लेकर जो मानक तय किये वो सभी राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर मॉडल माना गया है। वहां मान्यता के लिए बिल्डिंग आदि को कम तरजीह देते हुए इसबात पर ज्यादा तरजीह दी गयी कि अमुक स्कूल की शिक्षा में गुणवत्ता कैसी है! अगर गुणवत्ता ठीक है तो बाकी शर्तों में गुजरात सरकार ने थोड़ी राहत दे दी थी। परिणाम ये हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में गुजरात की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अच्छी है। लिहाजा निष्कर्ष यह है कि हम सारे नियम यदि शिक्षा देने के लिए ही बना रहे हैं तो उस प्रणाली को क्यों न अपनाएँ जिससे कि शिक्षा सहज, सुलभ और गुणवत्तायुक्त हो। शिक्षा की गुणवत्ता को केंद्र में न रखते हुए बाक़ी कानूनी प्रावधानों को मानक बनाने की वजह से कहीं न कहीं हम उन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है जिनकी शिक्षा का भविष्य उन छोटे-छोटे स्कूलों पर टिका है जो देश के गली-मुहल्लों में चल रहे हैं।

अब जब शिक्षा के अधिकार कानून के पांच साल हो गये हैं तो इस बात का मूल्यांकन करना जरुरी है कि जिन उद्देश्यों के लिए इस क़ानून को लाया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति में यह क़ानून कितना असफल अथवा सफल रहा है ? अगर इस क़ानून ने कामयाबी हासिल नहीं कि इसके औचित्य पर विचार जरुर होना चाहिए।

- Azadi.me

एनईपी: अवरोध की बजाय मूल्यांकन पर ध्यान दें

एक प्रावधान को लेकर 'शिक्षा का अधिकार' कानून एक बार पुन: चर्चा में है। इसबार बहस इसबात पर हो रही है कि आरटीई के आर्टिकल 30(1) में दिए गये 'नो डिटेंशन' नीति में बदलाव किया जाय अथवा नहीं! सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आरटीई का आर्टिकल 30(1) क्या कहता है ? इस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा के अधिकार क़ानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी छात्र को कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण-अनुतीर्ण करने की बाध्यता अथवा अनिवार्यता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो कानून में एक 'सेट ऑफ़ केश्वंस' वाली परीक्षा प्रणाली के आधार पर छात्रों को कक्षा में अनुत्तीर्ण कर उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश से अवरुद्ध करने की प्रणाली को ही खारिज किया गया है।

हालांकि इसी क़ानून के आर्टिकल 29(2)(H) के तहत इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गयी है कि प्रत्येक स्कूल व्यापक स्तर पर हर छात्र के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन अपने स्तर पर जरुर करे। आरटीई के यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से लागू हैं और तबसे इन्हीं नियमों के तहत मूल्यांकन हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में बहस और विवाद क्या पैदा हो गया है ? दरअसल सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति पर गठित सुब्रमन्यम कमेटी ने आरटीई के 'नो डिटेंशन' पालिसी को आठवीं तक की बजाय केवल पांचवी तक लागू करने की सिफारिश की है। 'नो डिटेंशन' पालिसी को हटाकर पुन: 'पास-फेल' प्रणाली लाने की सिफारिश 18 राज्यों ने की है। हालांकि 'नो डिटेंशन' पालिसी क्यों हटना चाहिए और पुरानी प्रणाली क्यों लाई जानी चाहिए के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि आठवीं तक परीक्षा से मुक्त प्रणाली में होने की वजह से नौवीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बेहद बढ़ रही है। संभवत: इन्हीं तर्कों अथवा आंकड़ों के आधार पर सुब्रमन्यम कमेटी ने 'नो डिटेंशन' की सीमा को घटाने की सिफारिश की होगी।

हालांकि इस बहस पर बुद्धिजीवियों के बीच भी दो फाड़ हैं। एक धड़ा 'नो डिटेंशन' की पालिसी को गलत मानता है तो दूसरा एक तबका ऐसा भी है जो आरटीई के इस प्रावधान को बेहद जरुरी और छात्रों के हित में होने की हिमायत करता है। गौर करने वाली बात है कि 'नो डिटेंशन' के विरोध में अथवा इसकी

सीमा कम किये जाने के पक्ष में खड़ा वर्ग इस पूरे प्रावधान के बहुआयामी पक्षों पर विचार करने की बजाय अपनी सोच को छात्रों की सफलता असफलता तक सीमिति करके देख रहा है। जबिक अगर इसका बहुआयामी विश्लेषण किया जाय तो यह सिर्फ छात्रों की सफलता-असफलता से जुड़ा मामला न होकर शिक्षकों एवं विद्यालयों की जवाबदेही एवं सफलता पूर्वक ढंग से काम करने की पद्धति से जुड़ा मामला नजर आता है।

भारतीय प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था में उतीर्ण और अनुतीर्ण जैसी प्रणाली का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक

कि लिखित परीक्षा की बजाय व्यवहारिक कौशल परीक्षण के मूल्यांकन पर ही जोर दिए जाने के तमाम उदाहरण परिलिक्षत होते हैं। हम आरटीई के आर्टिकल 30(1) पर अगर विचार कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 24(1) की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इस अनुच्छेद में छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए सिर्फ छात्रों को जवाबदेह बनाने की शिक्षकों की जवाबदेही की नीति को तरजीह दी गयी है। लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस प्रावधान पर कभी चर्चा नहीं होती कि शिक्षक कैसा कर रहे हैं? बेहद साधारण ढंग से समझने योग्य बात है कि अगर कोई छात्र कक्षा में न्यूनतम अनिवार्य उपस्थित से ज्यादा दर्ज कराता है और उसके बावजूद भी वो किसी ख़ास विषय में अच्छा नहीं सीख पाता तो उसे फेल करने की बजाय क्या हमें इस बात चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा? हमारा उद्देश्य उसे 'फेल-पास' करना है या स्तरीय ज्ञान देना है? अगर स्कूलों का उद्देश्य 'फेल-पास; करना भर है, तब तो नो डिटेंशन हटा लेना चाहिए लेकिन अगर हम यह मानते हैं कि स्कूलों का उद्देश्य स्तरीय ज्ञान देना है तो हमे फेल-पास की बजाय उस दिशा में प्रयास करने चाहिए कि किसी भी छात्र की शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सके?

अगर कोई बच्चा नियमित कक्षा में है फिर भी उसे कहीं दिक्कत आ रही है, इसके लिए वही जिम्मेदार है, ऐसा मान लेना बेहद खतरनाक प्रवृति है। क्या स्कूल, शिक्षक आदि में कमी नहीं हो सकती है ? उनका भी तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए! खैर, डिटेंशन पॉलिसी इस लिहाज से भी छात्रों के प्रतिकूल है कि अगर कोई छात्र चार विषयों में अच्छा कर रहा और दो विषयों में अच्छा नहीं कर रहा फिर भी 'पास-फेल' की नीति की वजह से उसे कई बार फेल होना पड़ता है। जबिक इस सवाल पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि जो बच्चा चार विषयों में



अच्छा कर रहा है, नियमित कक्षा में है, वो दो विषयों अथवा एक विषय में क्यों अच्छा नहीं कर रहा ? डिटेंशन पालिसी में सारा ठीकरा उस छात्र के सिर फोड़कर स्कूल, शिक्षक, अभिभावक अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड लेते हैं। जबिक सच्चाई यह है कि प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे की 'उन्नति-अवनित' में सामूहिक जवाबदेही होती है। बेहतर होगा कि छात्रों को फेल-पास के मकडजाल से निकालकर उनके सुधारों के प्रति सामूहिक जवाबदेही वाली नीतियों पर काम किया जाय। 'नो डिटेंशन' का अर्थ कर्ताई यह नहीं होता कि छात्र का मूल्यांकन न किया जाय। मूल्यांकन जरुरी है मगर इस शर्त पर नहीं कि उसकी शैक्षिणक स्थिति के लिए सिर्फ उसे जवाबदेह ठहरा कर सारे दंड उसपर थोपे जाय।

Azadi.me



आरटीई: कानूनी झोल में उलझती शिक्षा

अगर सवाल उठाया जाय कि 'स्कूल' क्यों ? तो सीधा जवाब मिलेगा, शिक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति इस सीधे जवाब से उलट है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा देने की बजाय सरकारी कानूनों का पालन करने अथवा न पालन कर पाने की स्थिति से निपटने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। १ अप्रैल २०१० को 'शिक्षा का अधिकार क़ानून' चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। लेकिन आज इस क़ानून के कई प्रावधान ही बच्चों की शिक्षा में आड़े आ रहे हैं। मसलन, आरटीई का बिल्डिंग कोड अथवा लैंड नाम्सी।



दरअसल शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत यह प्रावधान रखा गया है कि कक्षा नर्सरी से लेकर ५वीं तक के स्कूलों के पास ८०० स्कावयर मीटर की जमीन होनी अनिवार्य है जबकि नर्सरी ८वीं तक के स्कूल १००० स्क्वायर मीटर तक की अहर्ता पूरी करें। पहली बात तो यह है कि इस अनिवार्यता को उन विद्यालयों पर भी थोपा जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से बहुत साल पहले से चल रहे हैं। १ अप्रैल २०१० के बाद खुल रहे स्कूलों पर इसे लागू करना तो एक हद तक समझा भी जा सकता है लेकिन छोटे बजट वाले हजारों की संख्या में गली-मुहल्ले के स्कुल क्या करें जो पहले से अपनी सीमित व्यवस्था में सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस बिल्डिंग कोड की वजह से ऐसे हजारों स्कूलों पर गाज गिर रही है। अभी एक महीने पहले ही नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आरटीई के प्रावधानों को नहीं मानने वाले ८०० स्कूलों को बंद किया गया है। सवाल उठता है कि सरकार ने कानूनी प्रवाधानों को मनवाने के लिए स्कूल तो बंद करा दिया लेकिन उन आठ सौ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा अथवा क्या हुआ, इस बारे में दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

हालांकि बिल्डिंग कोड की किमयों और इसके शिक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर सरकार से लगातार बात करने पर वे इस बात पर तो तैयार हुए कि पहली किक्षा से पांचवी किक्षा तक के स्कूलों के लिए वे ८०० स्क्वायर मीटर की बजाय २०० स्कावयर यार्ड (1यार्ड = .9144 मीटर) का नियामक रखेंगे। गौरतलब है कि यार्ड और मीटर मापकों में मामूली का फर्क है। वहीँ किक्षा १ से ८वी तक के लिए ७०० स्क्वायर मीटर पर सरकार राजी हुई है। यहाँ तार्किक सवाल यह है कि किक्षा १ से पांचवी तक कुल पांच किक्षाएं अगर २०० स्क्वावयर यार्ड में चल सकती हैं तो फिर किक्षा ६ से ८वी तक की मात्र तीन किक्षाओं के लिए ५०० स्क्वावयर मीटर की बाध्यता क्यों जरुरी है ? यह एक तार्किक सवाल है जिसपर दिल्ली सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।

खैर, इस बाबत जब नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस (NISA) की तरफ से इस बात की वकालत की गयी कि सरकार यदि दो शिफ्ट में कक्षाएं चलाने को लेकर तैयार ही है तो ऐसा क्यों न हो कि विद्यालय के लिए २०० स्क्वायर यार्ड की बाध्यता हो जिसके पहले शिफ्ट में कक्षा १ से पांचवीं तक के बच्चे पढ़ें और दूसरी शिफ्ट में कक्षा ६ से आठवीं तक की कक्षाएं चलाई जाय। लेकिन आश्चर्यजनक है कि दो शिफ्ट में कक्षाएं चलाने की समर्थक दिल्ली सरकार इसबात पर तैयार नहीं है कि दुसरे शिफ्ट में कक्षा ६ से आठवीं तक की कक्षा चले। सरकार का कहना है कि दुसरे शिफ्ट में भी कक्षा १ से पांच तक की ही कक्षाएं चलाई जाय। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ बिल्डिंग कोड को लागू कराने मात्र के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के सुलभ अवसरों एवं उपायों को सरकार किस जिद में खारिज कर रही है। सामान्य समझ की बात है कि यदि कक्षा १ से पांचवी तक के बच्चे २०० स्क्वायर यार्ड में पढ़ सकते हैं तो भला कक्षा छ: से आठवीं तक के बच्चें लिए लगभग ३०० स्क्वावयर मीटर ज्यादा की जरुरत क्यों है ?

सरकार को यह समझना चाहिए कि दिल्ली जैसी जगह, जहाँ जमीन न सिर्फ बेहद महंगी है बल्कि जमीन उपलब्ध भी हैं, में सरकार द्वारा स्कूल चलाने के लिए लागू किये जा रहे इन सख्त लैंड नोम्स्र्स का सीधा असर उन स्कूलों पर पड़ रहा है जो बेहद कम बजट के और गली-मुहल्ले में चलने वाले स्कूल हैं। हमें यह समझना होगा कि सरकार जो लैंड नोम्स्र् लागू कर रही है उससे न तो सरकारी स्कूलों को कोई खतरा है और न ही बड़े पूंजीपितयों के नामी स्कूलों को खतरा है। इसका सीधा असर उन स्कूलों पर है जो बेहद छोटे बजट में चल रहे हैं और आम आदमी की जरूरतों के अनुरूप काम कर रहे हैं। इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि बेहद उच्च बजट वाले बड़े निजी स्कूलों की संख्या छोटे बजट वाले प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बहुत कम है। दूसरी बात यह भी है कि बड़े स्कूलों के पास न तो बजट की समस्या है और न ही उनके पास जमीन की कमी है, लिहाजा उनके लिए आरटीई के प्रावधान उस स्तर पर समस्या पैदा करने वाले नहीं हैं, जिस स्तर पर भारी संख्या में छोटे स्कूलों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।

सरकार को चाहिए कि वो तार्किक ढंग से इस समस्या का समाधान 'क़ानून प्रथम' की बजाय 'शिक्षा प्रथम' को वरीयता देते हुए निकाले। अगर कोई स्कूल २०० स्क्वायर यार्ड के क्षेत्रफल में दो शिफ्ट कक्षाएं चलाकर पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे रहा है तो सरकार उसे प्रोत्साहित करने का उपाय करे न कि उसको कानूनी हथकंडों से और समस्या में डाले। चूँिक 'शिक्षा के अधिकार' जैसे शब्द सुनने-सुनाने के लिए तो यूटोपिया जैसी मनोस्थिति पैदा कर देते हैं लेकिन तार्किकता की कसौटी पर बेहद गैर-जरुरी होते हैं। व्यावहारिकता के धरातल पर इस समस्या को समझने की जरूरत है। बजाय कि हम शिक्षा के अधिकार की बात करें, हमे अब इस बात पर जोर देना होगा कि स्कूल चुनने का अधिकार कैसे मिले, अवसर कैसे मिले,

आजादी कैसे मिले! वर्तमान समय अधिकार देने का नहीं बल्कि अवसर देने का है। हमें सहज, सुलभ और सर्वांगीण अवसर पैदा करने की जरूरत है जो कि तभी संभव है जब स्कूलों का मूल्यांकन कानून की बजाय गुणवत्ता के आधार पर हो और इसी मानक के आधार पर प्रोत्साहन भी सुनिश्चित किया जाय।

Azadi.me

ask your lawyer: Legal Boundaries

Q. Sir, does RTE provide free education to all children?

A parent, Seelampur, Delhi

A. RTE Act does not provide free education to all children. According to S.9(a), every local authority shall provide free and compulsory elementary education to every child except where a child is admitted by his or her parents or guardians in a private unaided school in the general category.

Q. Sir, on what grounds is the recognition granted to private schools?

A school owner, Haryana

A. The conditions of granting recognition to private schools vary from state to state. You can check out RTE Matrix of State Rules. For further information, please refer to your state RTE Rules and the State primary education Act.

Q. Do the norms and standards of a school apply only to private schools?

A parent, Jharkhand

A. No, all schools including Government schools must adhere to the norms. Please see this clarification issued by MHRD. As per section 19 (1), no school shall be established (by the government), or recognized (private), if it does not fulfill the norms and standards prescribed by the Act. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) is responsible to ensure that government schools also adhere to norms and standards.

LEGAL BOUNDARIES is an answer to all your law-related queries on RTE and budget private schools, whether you are a school administrator, owner or parent.



Centre for Civil Society offers free legal advice and consult on RTE. We consult with Prashant Narang, legal expert and advocate

from iJustice. Write to prashant@ijustice.in with your query.

Be as brief, clear and specific as possible, and put the subject line as: 'Legal Boundaries - NISA Query'.








upcoming event

Pizza, Policy etc.

Date: August 12, 2016

Venue: Delhi Journalists Association office, 7, Jantar Mantar, New Delhi India

The Pizza Policy is a platform that brings together journalists and relevant stakeholders every month to deliberate on contemporary issues in the education sector and arrive at practical solutions which then can be written about in newspapers and magazines to influence general opinion. This month's discussion will revolve around the 'National Education Policy.'



Participatory Democracy at its best! India has embarked on an historic mission of formulating a National Education Policy (NEP). A group of citizens and CSOs—NEP Alliance—have decided to use the tool of Wiki to democratize the discourse on NEP, probably the first time in the history of Indian public policy making. Read others' comments, build on the contributions of all and help create a NEW DOCUMENT on policy and not just a list of random reform ideas! Use this forum to discuss, debate, comment and edit both the MHRD and TSR Committee documents.

Log on to contribute: www.nep.ccs.in









NISA has presence in Telangana, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan and Sikkim



A 69, Hauz Khas, New Delhi 110016 India +91 11 2653 7456

www.nisaindia.org | nisa@ccs.in





/CCSIndiaty



/CCSIndia



SpontaneousOrder.in



/company/Centre-for-Civil-Society